

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम

(आरटीएस)

मि.न.129/17

दिनांक 7.9.17


सरकार बनाम सेदूराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583 रकबा 49.49 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर शेदू पुत्र सुल्तान जाति भीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुख्ता मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान जरीये अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सैनी उपस्थित आये । अधिवक्ता ने गैरसालान की तरफ से लिखित जबाब पेश किये जो संलग्न पत्रावली किया गये । विद्वान अधिवक्ता ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी गण अनुसुचित जन जाति के सदस्य गरीब व्यक्ति हैं। उक्त नोटिस गैर कानूनी रूप से दिये गये हैं। जबकि खसरा नंबर 583 ग्राम करवास गै0 मु0 नदी नहीं है ,बल्कि सिवाय चक है। सिवाय चक भूमि को गै0 मु0 नदी दर्ज करने का अधिकार श्रीमान को नहीं है। खसरा नंबर 583 ग्राम करवास को गलत एवं अवैध रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवायचक से गैरमुमकिन नदी गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी गण का कब्जा बुर्जुगान के समय से है। विद्वान वकिल ने मननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1955(1)डीएनजे एस0सी0 पेज 208,आर0 एल0 डब्लू0 -2004 राज0 पेज 372 व आर0 एल0डब्लू0 -2005(1)राज0 पेज 378 की दलील पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी गण का कब्जा 50 वर्षों से अधिक है जिस पर से एल0 आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती । अतः नोटिस को निरस्त फरमाया जावे।


तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व दलीलो के संदर्भ में मनन किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 583 वाके ग्राम करवास की किस्म गै० मु० नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहुंचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज० द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल

महमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै०मु० नदी०, तालाब, मोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः गैरसायलन शेदू पुत्र सुल्तान जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम करवास के खसरा नंबर 583/49.49 है० में से 0.002 है० किस्म जमीन गै० मु० नदी पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है। अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः शेदू पुत्र सुल्तान जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख० न० 583/49.49 है०, किस्म जमीन गै० मु० नदी मे से 0.002 है० पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बने पक्के मार्ग को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः अतिक्रमण नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी .02का पचास गुणा 1रु प्रति दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

दिनांक 20/9/17 ... के शा० ले० 4
पृष्ठ संख्या 82 पर ...
... के अंतर्गत लिखे गये।

राजस्व विभाग
कोटपूतली